अध्याय - 8
पुनर्निर्माणएवंपुनः स्थापनयोजना

- पुनःनिर्माण एवं पुनर्स्थापन के चरण
- पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व
- क्षति आंकलन की प्रक्रिया
- क्षति आंकलन प्रपत्र
- लघु वधि पुनःस्थापन केमहत्वपूर्ण कार्य
- दीर्घ वधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां
- चार्ट-1: आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रस्तावित संरचनात्मक कार्यों की समय सीमा

8.1: पुनःनिर्माण एवं पुनर्स्थापन के चरण:-IRS -007 - FINAL INCIDENT REPORT: (अध्याय 7 की चार्ट क्र. 7.14) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आपदा के उपरान्त पुनःस्थापन एवं पुनर्निर्माण के निम्नांकित कार्यो को सम्बंधित विभागों (तालिका 8.1) द्वारा पूर्ण किया जावेगा –

- आपदा प्रभावित क्षेत्रो का विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप अनुसार क्षति एवं प्रभाव आंकलन
  - जनहानि क्षति आंकलन
  - पशुधन क्षति आंकलन
  - सामुदायिक अधोसंरचना क्षति एवं प्रभाव आंकलन
  - आधारभूत आवश्यक सेवाओं की क्षति एवं प्रभाव आंकलन
  - मकान एवं अन्य संपत्तियो का क्षति आंकलन
  - स्वास्थ्य सेवाओं एवं संक्रामक बीमारियों का आंकलन
  - पर्यावरणीय क्षति आंकलन
  - आपदा प्रभावितो की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन
  - संवेदनशील वर्गों दिव्यांग),बीमार, वृद्ध, नवजात शिशु, महिलाओं आदिपर सामाजिक (, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आंकलन
- क्षति आंकलन के आधार पर लघु अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्य
- दीर्घ अवधि संरचनात्मक पुनर्निर्माण कार्य

8.2 : पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व -:आपदा घटित होने के पश्चात पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन के कार्यो हेतु विभागीय ज़िम्मेदारी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

तालिका 8.1 : लघु अवधि पुनर्निर्माण कार्य योजना

क्र	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
20.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	• ग्रामीण क्षेत्रो में आपदा प्रभावित अधोसंरचना विद्यालय ,पंचायत भवन) का क्षति सर्वेक्षण (आदिकरना। • जनहानी, आजीविका हानी का निर्धारित प्रारूप में सर्वेक्षण। • राजस्व इभाग के समन्वय में प्रभावितों को शासन के नियमानुसार मुआवजा एवं अनुग्रह अनुदान वितरण। • क्षति आंकलन के आधारपर पुनर्निर्माणकी लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।। • कार्य योजना अनुसार आगामी कार्यवाही। • दीर्घ अवधि पुनः स्थापन हेतु स्थायी एवं अस्थायी राहत केन्द्रों का संबन्धित विभागों के समन्वय में निर्माण। • मनरेगा एवं रोजगार से संबन्धित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आजीविका प्रदान करना।
21.	राजस्व विभाग	• क्षति आंकलन कार्य में सभी संबन्धित विभागो के साथ समनवय तथा कुल क्षति का क्षेत्रवार आंकलन। • शासन के नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि एवं मुआवजा वितरण। • क्षति आंकलन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन एवं जिला प्राधिकरण को रिपोर्टिंग। • संबन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित लघु एवं दीर्घ अवधि पुनः स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन। • आपदा प्रभावितों की पुनः स्थापन में सहायता हेतु जिला प्रशासन के

		समबंधित अधिकारियों का संपर्क नंबर।
22.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	• फसलो की क्षति का आकलन करना। • क्षतिग्रस्त फसलों के सेंपल को जांच हेतु प्रयोगशाला भेजना एवं उनका उन्मूलन करना। • फसल बीमा एवं मुआवजे के वितरण की व्यवस्था। • कृषकों को बीमा एवं मुआवजा संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु सहायता केन्द्रों की स्थापना करना। • बीज और अन्य कृषि इनपुट की सुविधा प्रदान करना। • सूखा एवं बाढ़ अनुकूलित बीजो का प्रचार। • क्षतिग्रस्त खेत के औजारो के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना।
23.	पुलिस विभाग	• कानून व्यवस्था बनाए रखना। • अफवाहों के नियंत्रण हेतु सभी संबन्धित विभागों से समन्वय।
24.	वन विभाग	• वन एवं वन्य जीवों की आपदा के कारण हुई क्षति तथा विपरीत प्रभाव का आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के समन्वय में लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार कर वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण।
25.	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग	• औद्योगिक आपदा के उपरांत प्रभावितों पर स्वास्थ्य विभाग के समन्वय में दीर्घकालीन प्रभावों का आंकलन तथा बीमा कंपनी के माध्यम से मूआवजा प्रदान करने की व्यवस्था।
26.	मत्स्य विभाग	• आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग पर हुये क्षति का अंकलन। • स्थानीय मछुवारों की नावों की क्षति का आंकलन करना एवं राजस्व विभाग के समन्वय में मुआवजा एवं राहत राशि प्रदान करने की व्यवस्था करना। • मत्स्य विभाग की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।
27.	सहकारिता विभाग	• कृषि विभाग के समन्वय से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आपदा प्रभावितों को बीज खाद एवं अन्य आवश्यक सामग्री का आंकलन एवं प्रदाय।
28.	स्कूल शिक्षा विभाग	• विद्यालय की संरचना पर आपदा के प्रभावों का आंकलन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में मररामत का कार्य। • विद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था। • विद्यालय में स्वस्थ्य सफाई को सुनिश्चित करना।
29.	योजना, आर्थिक और सांख्यकी विकास	• आपदा से हुई क्षति का सम्पूर्ण डेटा का विभ्हिन्न विभागों द्वारा आंकलन क्षति के आधार पर जिला विकास योजना में आपदा प्रभावित क्षेत्र की योजनाओं को शामिल करना।
30.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	• महामारी /फैलने वाली बीमारियों/संक्रमक बीमारियों वाले संवेदनशील क्षेत्रों का चिंहांकन एवं सर्वेक्षण। • स्वच्छता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना। • संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाना। • संक्रामक रोगों से बचाव हेतु जन समुदाय को आवश्यक निर्देश प्रदान करना। • स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई एवं स्व्च्छता सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम नगर पालिका लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं अन्य विभागों के समन्वय। • आपदा से आघात लोगो की काउन्सलिंग करना। • चिकित्सा एवं घायलों/विकलांगों के समाजिक चिकित्सकीय पुर्नवास हेतु

		आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
31.	नगरी□ निका□	• आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मलबा निष्पादन • शुद्ध पे□ जल की व्यवस्था • आवश्यकतानुसार शौचाल□ों का निर्माण।
32.	जनसम्पर्क का□लि□	• आपदा से संबन्धित समस्त जानकारि□ों को उचित मीडि□ा द्वारा जन समुदा□ को जानकारी प्रदान करना। • आपदा उपरान्त प्रदत्त कि□ जाने वाले विभिन्न सहा□ता, धनराषि इत्यादि के विष□ में स्थानी□ जन समुदा□ को सम□पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
33.	जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	• मुफ्त खाद्यान वितरण का आवश्यकता आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के माध्यम से वितरण। • खाद्यान्न गोदामों का संरक्षण • दान दाता एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्रि□ों का रखरखाव एवं वितरण।
34.	लोक निर्माण विभाग	• अवरूद्ध सड़कों की साफ-सफाई। • गड्ढ़ों का भराव करना, मलवा सफाई तथा सड़क अवरूद्ध करने वाले पेड़ो को हटाना। • क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलो की मरम्मत करना तथा अतिशीघ्र □ाता□ात व्यवस्था को बहाल करना। • संवेदनशील/आपदा स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों का चिन्हीकरण करना। • क्षतिग्रस्त सड़क/डाइवरसन, राहत शिविर, चिकित्सा पोस्ट, पुल/ पुलि□ों, सड़कों अस्था□ी संरचनाओं का क्षति आकलन . • संरचनाओं का मजबूतीकरण तथा पुनः बहाली तथा जिन कारणों से संरचनाओ में नुकसान पहूँचा है, उनको □था संभव दूर करना।
35.	जल संसाधन विभाग	• सिंचाई संरचनाओं का संरक्षण एवं निगरानी। • जिले के प्रमुख बांधों, पुलो, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण एवं क्षति आंकलन। • संरचनाओं स्टेशन, उपकरण, पम्प, जनरेटर, मोटर इत्यादि का मरम्मत एवं निरीक्षण। • बांध टूट स्थल पर रोक हेतु आवश्यक का□ि।
36.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	• क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर आदि का सर्वेक्षण तथा तत्काल बहाली का का□ि। • उच्च विद्□ुत क्षमता के तारो, विघुत उपकेन्द्रों ट्रांसफारर्मरपोल इत्यादि / महत्वपूर्ण घटकों का निरीक्षण एवं संबन्धित विभाग को सूचना प्रदान करना। • आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली □थाशीघ्र सुनिश्चित करना। • क्षतिग्रस्त पोल, ट्रांसफारर्मर, कनडकर्टस इत्यादि उपकरणों की मरम्मत एवं बदलाव शीघ्र - अतिशीघ्र करना।
37.	पशुपालन विभाग	• पशुधन क्षति आंकलन . • आपदा उपरांत पशुजनित रोग नि□ंत्रण, • सामान्य स्थिति होने तक पशु चारे व घास की व्यवस्था। • मवेशि□ो के शवों को हटाने तथा महामारी से बचने के लिए सफाई की उप□ुक्त व्यवस्था हेतु नगर निगम एवं स्थानी□ निका□ से समन्व□। सुनिश्चित करना।

38.	भारत संचार निगम लिमिटेड	• संचार व्यवस्था क्षति आंकलन . • संचार नेटवर्क को त्वरित रूप से बहाल करने हेतु समस्त सर्विस प्रोवाईडर से संचार व्यवस्था से समन्वय।
39.	लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	• नगर निगमनगरपालिका के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पेय / जल स्त्रोतों तथा जल प्रदाय व्यवस्था का क्षति आंकलन • प्रभावित पेय जल स्त्रोतों के शुद्धीकरण की व्यवस्था। • राहत केन्द्रोंअस्पतालों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर शुद्ध पेय जल की , व्यवस्था सुनिश्चित करना।
40.	सामाजिक न्याय एवं निः शक्तजन सुरक्षा विभाग	• आपदा निःशक्तजनों एवं अन्य संवेदनशीलकमजोर वर्ग को सर्वेक्षण / उपरांत ट्राई साइकिल एवं अन्य आवश्यक सामग्रियाँ, तथा उचित सहायता उपलब्ध करना। • आपदा उपरांत निः शक्तजनों के देखभाल तथा पुनःस्थापन हेतु सम्बंधित विभागों से समन्वय।
41.	महिला एवं बाल विकास विभाग	• स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार आल्याण के साथ समन्वय • महिलाओं की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन तथा पुनः स्थापन हेतु लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।

8.3 : क्षति आंकलन प्रक्रिया :-क्षति एवं प्रभाव का आंकलन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बंधित विभागों (तालिका 8.1) द्वारा की जायगी। क्षति आकलन हतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वरीय पदाधिकारियों का नतृत्व में टीमें गठित कर, सभी प्रकार की क्षति का डिजिटल कैमरा सतिथियुक्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करगा। ऐसा फोटो एवं वीडियों में किसी जिम्मदार सरकारी कर्मी का फोटो होना आवश्यक होगा। विभागों द्वारा किया गया क्षति आंकलन का अनुरुप पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन हतु लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि कार्य योजना बनाई जावगी तथा इन कार्यो को संपन्न करना हतु विभागीय बजट में प्रावधान किया जावगा।

8.3.1 : क्षति आंकलन प्रपत्र :- आपदा के उपरान्त संभावित क्षति के आंकलन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा अनुमोदित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में **पैरा 8.1** में उल्लेखित बिंदु सम्मिलित नहीं हैं, तो इन्हें सम्मिलित करते हुए क्षति आंकलन का कार्य किया जायेगा।

8.4 : लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य :- आपदा के पश्चात प्रभावितों के तत्काल पुनःस्थापन एवं राहत तथा क्षति ग्रस्त एवं आपदा प्रभावित अधोसंरचनाओ एवं आवश्यक सेवाओ के बहाली हेतु **तालिका 8.1** में उल्लेखित विभागों द्वारा निम्नाकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जावेंगे –

- **मुफ्त खाद्यान्न का वितरण**प्रभावितों को निर्धारित मान दर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद : अनुदान का भुगतान किया जावेगा। संभव है कि अगले माहों के लिए भी मुफ्त खाद्यान्न वितरण की आवश्यकता हो। ऐसी आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकार की सहमति से अगले माहों के लिए खाद्यान्न वितरण आदि का निर्णय संसूचित किया जाएगा।
- **राहत वितरण :** क्षति आकलन करने के बाद प्रभावितो को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण प्रारंभ किया जावेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड पंचायत स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण /एवं परामर्श से किया जाएगा। यदि राहत वितरण में भेदभाव अथवा किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी - जांच एवं निष्पादन वरीय पदाधिकारियों की टीम से अविलम्ब कराया जाएगा ताकि राहत वितरण में अनावश्यक कठिनाइयाँ एवं विवाद पैदा न हो सके।

- **क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन : पुनर्निर्माण /** संबंधित विभाग अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचना की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुनर्स्थापन पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित / प्रक्रिया अपना कर, सर्वप्रथम आधारभूत संरचनाओं का त्वरित पुनर्स्थापन करेंगे, तत्पश्चात् पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा।
- **महामारी की रोकथाम :** आपदा के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना रहती है। अतएव महामारी की रोकथाम हेतु तुरंत स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभागों द्वारा निरोधात्मक कदम उठाए जाऐंगे।
- **जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था :** बाढ़ के कारण जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों से तुरंत जल निकासी की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जावेगी।

8.5 : दीर्घ अवधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां :- दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु आपदा प्रभावित क्षेत्रो में आवश्यकताओ एवं सेवाओं का आंकलन कर, उनकी बहाली हेतु योजनाओं का चयन कर अथवा नवींन योजनाए बनाकर, केंद्र शासन, राज्य शासन और जिला स्थित विभागों के समर्थन से संपन्न किया जावेगा। जिले के जोखिम विश्लेषण के आधार पर दीर्घ-अवधी संरचनात्मक कार्ययोजना समयसीमा के साथ प्रस्तावित की जा रही है।

**** सम्बन्धित विभाग द्वारा इसमें संशोधन / □दलाव किया जा कर, जिला प्राधिकरण को विभागीय योजना से अवगत कराया जायेगा तथा इसे अंतिम रूप दिया जायेगा।***

तालिका 8.2 : प्रस्तावित दीर्घकालीन संरचनात्मक पुनर्निर्माण योजना

क्रं.	प्रस्तावित संरचनात्मक कार्य का नाम	समय सीमा	उत्तरदायी विभाग
1	जिले में स्थित नदियो के ड्रैनेज नेटवर्क एव□जल भराव प्रभावित शहरी वार्डों मे नालो□को चिन्हित कर इसे निर्माण मुक्त रखने हेतु कार्य योजना।	जिला आपदा प्रबध्न योजना के अनुमोदन उपरा□ 01 वर्ष के अ□र्गत।	जल स□साधन विभाग/ नगरीय निकाय
2	ज़िले के जल भराव प्रभावित शहरी वार्डों के नालो□ के क्षेत्र में अधिकतम वर्षा के अनुरुप बाढ़ जल निकासी एव□एनडीएमए गाइड लाइन अनुसार चौड़ीकरण हेतु कार्य योजना	जिला आपदा प्रबध्न योजना के अनुमोदन उपरा□ 01 वर्ष के अ□र्गत।	नगरीय निकाय
3	ज़िले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो□के समस्त जल स□ग्रहण क्षेत्रो□का डिसिल्टि□ एव□गहरीकरण कार्य की योजना।	जिला आपदा प्रबध्न योजना के अनुमोदन उपरा□ 01 वर्ष के अ□र्गत।	लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग
4	बाढ़ के पानी को बस्ती में आने से रोकने हेतु मेढ़ बध्न, चेक डेम, स्टॉप डेम आदि जैसी उचित स□रचना का निर्माण	जिला आपदा प्रबध्न योजना के अनुमोदन उपरा□ 02 वर्ष के अ□र्गत।	जल स□साधन विभाग
5	अधिकतम बाढ़ स्तर से नीचे स्थित पुल, पुलियो□ रपटो आदि का चिन्हा□कन तथा बाढ़ स्तर से ऊपर ऊ□चाई बढ़ाने हेतु कार्य योजना।	जिला आपदा प्रबध्न योजना के अनुमोदन उपरा□ 01 वर्ष के अ□र्गत।	ग्रामीण याि□की विभाग/ लोक निर्माण विभाग
6	बाढ़ आपदा स□ावित क्षेत्रो में पुल पुलियो□एव□रपटो पर जल स्तर की जानकारी प्रदान करने तथा सुरक्षा उपाय अपनाने हेतु **स्टोन गार्ड** लगाना।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 06 माह के अंतर्गत अथवा वर्षा पूर्व।	
7	बाढ़ से प्रभावित होने वाले मार्गों तथा सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों का चिन्हांकन एवं निर्माण	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 02 वर्षों के अंतर्गत।	ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/ लोक निर्माण विभाग/नगर

			निगम/नगर पालिका
8	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नदी कटाव क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं वनसंरक्षण, वृक्षारोपण, नियोजित चराई, बंध बनाना, भूमि उद्धार आदि स्थानीय विधियों द्वारा मृदा अपरदन का कार्य योजना अनुसार नियंत्रण।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 02 वर्षों के अंतर्गत।	किसान कल्याण एवं कृषि विभाग/ वन विभाग/ जिला पंचायत।
9	एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन / बस स्टैंड / अस्पतालों / महत्वपूर्ण कार्यालयों को बाढ़ रोधी बनाना।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 01 वर्ष के अंतर्गत।	समस्त संबन्धित विभाग
10	IS 5961 के अनुरुप बरसाती जल निकासी हेतु नालों के निर्माण हेतु निर्देश।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 01 वर्ष के अंतर्गत।	नगरीय निकाय
11	नई सड़क के निर्माण तथा पुराने सडको के उन्नयन के दौरान इसकी ऊंचाई (लेवल) को क्षेत्र की बाढ़ संवेदनशीलता अनुसार रखने का निर्देश।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 01 वर्ष के अंतर्गत।	लोक निर्माण विभाग
12	शहरी क्षेत्र से गुजरने वाले प्रस्तावित रेल पुलों का रुपांकन, वर्षा जल प्रवाह की अवरुद्धता को ध्यान में रखते हुए निर्माण करने के निर्देश।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 02 वर्ष के अंतर्गत।	डीआरएम
13	भविष्यमेंसमस्त महत्वपूर्णसंरचनाओंकानिर्माणबाढ़रोधीतकनीकसे करने हेतु निर्देश।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 01 वर्ष के अंतर्गत।	निर्माण कार्य से संबन्धित समस्त विभाग
14	बड़े भवनों विशेषकर सिनेमाघरों, स्कूल, सामुदायिक भवनों में आपात एवं वैकल्पिक मार्गों का निर्माण।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 01 वर्ष के अंतर्गत	स्थानीय निकाय
15	अग्नि दुर्घटना संभावित शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 01 वर्ष के अंतर्गत	स्थानीय निकाय
16	वन अग्नि संभावित क्षेत्रों में आग फैलने से रोकने हेतु वन विभाग द्वारा ट्रेंच का निर्माण।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 01 वर्ष के अंतर्गत।	वन विभाग
17	जिले में जर्जर, पुराने महत्वपूर्ण भवनों का चिन्हांकन तथा उनकी संरचना का भूकंपीय दृष्टि से परीक्षण एवं पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 01 वर्ष के अंतर्गत।	लोक निर्माण विभाग
18	जिले में पुल पुलियो का भूकंपीय दृष्टि से परीक्षण एवं सुदृढ़ीकरण की कार्य योजना।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 01 वर्ष के अंतर्गत।	लोक निर्माण विभाग
19	क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम के अनुरुप सतही जल संरक्षण तथा भूजल स्तर बढ़ाने हेतु मेढ़ बंधान, चेक डेम, स्टॉप डेम,परकुलेसन टेंक, आदि संरचनाओ के शासन द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत निर्माण की कार्य योजना का जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन।	जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुमोदन उपरांत 01 वर्ष के अंतर्गत।	जिला पंचायत विभाग / जल संसाधन विभाग

20	शासकीय भवनों (हॉस्पिटल, शैक्षिणिक संस्थाओ, सामुदायिक भवनों इत्यादि बडे भवनों) में वर्षा जल संचयन हेतु नवीन तकनीको (इंजेक्शन वेल, रिचार्ज शाफ़्ट एवं कुओ आदि) के माध्यम से एवं टैंक में जमा करके इत्यादि) का उ□योग कर भूजल स्तर बढ़ाने की कार्य योजना तथा जिला आ□दा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा □ नुमोदन।	जिला आ□दा प्रबंधन योजना के □ नुमोदन उ□रांत 01 वर्ष के □ंतर्गत।	जल संसाधन विभाग, स्थानीय निकाय
21	सूखा प्रभावित क्षेत्रो में वृक्षारो□ण कर सूखे के प्रभाव को कम करने की कार्य योजना तथा जिला आ□दा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा □ नुमोदन।	जिला आ□दा प्रबंधन योजना के □ नुमोदन उ□रांत 01 वर्ष के □ंतर्गत।	जल संसाधन विभाग, वन विभाग
23	जर्जर या ख़राब हालत के कुँओं, नलकू□ों आदि जल स्त्रोतो का चिन्हांकन तथा उन्नयन।	जिला आ□दा प्रबंधन योजना के □ नुमोदन उ□रांत 01 वर्ष के □ंतर्गत	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
24	सार्वजनिक तथा व्यस्त स्थलों में छायादार शेड निर्माण हेतु स्थल का चुनाव तथा इनका निर्माण।	जिला आ□दा प्रबंधन योजना के □ नुमोदन उ□रांत 01 वर्ष के □ंतर्गत	स्थानीय निकाय

चार्ट-8.1: आपदा जोखिम न्यूनीकरण हत्तु प्रस्तावित संरचनात्मक कार्यों की समय सीमा (यह एक आदर्श चार्ट है, सम्बंधित विभाग द्वारा इस□अंतिम रूप दिया जायगा.)

क्र.	कार्य का विवरण	2018										2019												2020					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
बाढ़																													
1	प्राकृतिक ड्रेनेज को अवरोधमुक्त करने का कार्य।																												
2	बाढ़रोधीसंरचनानिर्माण कार्य योजना।																												
3	जल संग्रहण क्षेत्रों का डिसिल्टिंग एवं गहरीकरण कार्य।																												
4	अधिकतम बाढ़ स्तर से ऊँचे पुल, पुलियों, रप□ो आदि का उन्नयन कार्य।																												
5	पुल पुलियों एवं रप□ो पर सुरक्षा जानकारी लिखित स्टोन गार्ड लगाना।																												
6	नदीकिनारे के क□ावतथा मृदा अपरदन का कार्ययोजना अनुसार नियंत्रण।																												
7	महत्वपूर्ण भवनों / अधोसंरचनाओं से बाढ़ जल निकासी हेतु आवश्यक संरचनात्मक कार्य।																												
भूकंपीय जोखिम केपरिप्रेक्ष्य में परिक्षण एवं सुदृढ़ीकरण																													
1	भूकंपीय दृष्टी से जर्जर, पुराने महत्वपूर्ण भवनों का परिक्षण, आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण अथवा भवन ध्वस्त करने का कार्य।																												
2	भगदड संभावित क्षेत्र / मेला स्थल के खतरनाक संरचनाओ में जोखिम न्यूनीकरण हेतु कार्य																												
तापघातजोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रस्तावित संरचनात्मक कार्य																													
1	सार्वजनिक एवं व्यस्त स्थलों में छायादार शेड तथा शीतल पेयजल स्थल (प्याऊ) का निर्माण कार्य																												
जल भरण / भूजल स्तर बढ़ाने हेतु संरचनात्मक / अधोसंरचना का निर्माण कार्य																													
1	क्षेत्रके ड्रेनेज सिस्टम के अनुरुप सतही जल संग्रहण तथा भूजल स्तर बढ़ाने हेतु मेढ़बंधान, चेक डेम, स्टॉप डेम आदि संरचनाओ के निर्माण का कार्य।																												
2	स्थानीयतालाबो, टैंको इत्यादि में डीसिल्टेशन एवं गहरीकरण की कार्य।																												
3	सरकारीभवनों से वर्षा जल संचयन हेतु विभिन्नतकनीको का उपयोग कर भूजल स्तर बढ़ाने का कार्य।																												
4	सूखाप्रभावित क्षेत्रो में वृक्षा रोपण कर सूखे के प्रभाव को कम करने का कार्य।																												
5	जर्जरया ख़राब हालत के कुँओं, नलकूपों आदि जल स्त्रोतो का उन्नयन।																												